भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 189A/2018–19

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

बसंत टुडू एवं अन्य 3 आवेदक ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

तुलसी कुमारी ....क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
02-07-2020		

विक्रेता :– 1. बसंत टुडू उर्फ बसंत माझी 2. चामु टुडू उर्फ चामु माझी 3. धनी राम टुडू उर्फ धनी राम माझी 4. सुकु टुडू उर्फ सुकु माझी सभी के पिता स्व0 लखन टुडू उर्फ टुनु माझी, ग्राम–रापचा, थाना– गम्हरिया जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–संथाल।

क्रेता :– तुलसी कुमारी पति आदिवासी माझी, सा0–पाकुड़गोड़ा, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 05.11.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता तुलसी कुमारी पति आदिवासी माझी, सा0–पाकुड़गोड़ा, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
सालडीह	गम्हरिया / 51	9	101	0.05एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 259 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेताओं के स्वयं के नाम से क्रय की गई भूमि है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेताओं के पास रकवा–4.13एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहते है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति–'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता 1. बसंत टुडू उर्फ बसंत माझी 2. चामु टुडू उर्फ चामु माझी 3. धनी राम टुडू उर्फ धनी राम माझी 4. सुकु टुडू उर्फ सुकु माझी सभी के पिता स्व0 लखन टुडू उर्फ टुनु माझी, ग्राम–रापचा, थाना– गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता तुलसी कुमारी पति आदिवासी माझी, सा0–पाकुड़गोड़ा, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला– खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.05एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

02/07/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner